

राजस्व वन भूमि हेतु कलेक्टर का अनापत्ति प्रमाण पत्र

भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना "भारतनेट प्रोजेक्ट फेस - II" के अन्तर्गत संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स), रायपुर, छत्तीसगढ़ द्वारा कांकेर जिला के पश्चिम भानुप्रतापपुर वनमण्डल क्षेत्रांतर्गत पखांजुर ब्लॉक के अधीनस्थ ग्राम पंचायतों को ब्लॉक मुख्यालय से जोड़ने वाले मार्गों के मौजूदा राईट-ऑफ-वे के अन्तर्गत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने के लिए राजस्व वन भूमि के उपयोग हेतु कलेक्टर महोदय, जिला कांकेर का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न है।

संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी
छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स)
रायपुर छत्तीसगढ़

वनमण्डलाधिकारी,
पश्चिम भानुप्रतापपुर वनमण्डल,
भानुप्रतापपुर, (छत्तीसगढ़).

कार्यालय कलेक्टर (भू-अभिलेख शाखा) जिला उत्तर बस्तर कांकेर

67

—ज्ञापन—

क्रमांक 705/कले./भू-अभि./2020
प्रति,

कांकेर, दिनांक 14/10/2020

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
कार्यालय चिप्स
स्टेट डाटा सेंटर भवन,
सिविल लाईन्स रायपुर, छ.ग.

विषय:- भारतनेट परियोजना हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत गैरवानिक प्रयोजन हेतु भूमि व्यववर्तन बाबत प्रस्ताव तैयार किए जाने हेतु मार्ग में प्रभावित राजस्व वनभूमि 0.429 हे. का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करने विषयक।

संदर्भ:- आपका पत्र क्र./भानेप्रो-11/वनभूमि/एफआरए-अनापत्ति/2019-20/33 रायपुर दिनांक 03/03/2020

—00—

मुख्य कार्यपालन अधिकारी चिप्स, स्टेट डाटा सेंटर भवन, सिविल लाईन्स रायपुर छ.ग. द्वारा भारत नेट प्रोजेक्ट के तहत पश्चिम भानुप्रतापपुर वनमण्डल क्षेत्रांतर्गत तहसील पखांजूर (ब्लॉक-कोयलीबेड़ा) के अन्तर्गत शामिल ग्राम पंचायतो को ब्लॉक मुख्यालय से जोड़ने वाले मार्गों के मौजूदा राईट-ऑफ-वे में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत गैर वानिकी प्रयोजन हेतु ग्रामवार राजस्व भूमि का 0.429 हे. का भू प्रत्यावर्तन करना उल्लेखित किया गया है :-

क्र.	तहसील	ग्राम का नाम	भूमि का प्रकार	खसरा	प्रभावित रकबा हे.
1	पखांजूर	बदरंगी	बड़े झाड़ का जंगल	204	0.008
2	पखांजूर	बदरंगी	बड़े झाड़ का जंगल	130	0.018
3	पखांजूर	कोतूल	बड़े झाड़ का जंगल	245	0.015
4	पखांजूर	मरदा	छोटे झाड़ का जंगल	56	0.001
5	पखांजूर	मरदा	बड़े झाड़ का जंगल	154	0.007
6	पखांजूर	मरदा	बड़े झाड़ का जंगल	199	0.009
7	पखांजूर	मरदा	बड़े झाड़ का जंगल	203	0.021
8	पखांजूर	तूरसानी	छोटे झाड़ का जंगल	292	0.001
9	पखांजूर	तूरसानी	छोटे झाड़ का जंगल	293	0.003
10	पखांजूर	तूरसानी	बड़े झाड़ का जंगल	286	0.004
11	पखांजूर	कोयलीबेड़ा	छोटे झाड़ का जंगल	905	0.007
12	पखांजूर	जिरामतराई	छोटे झाड़ का जंगल	393	0.005
13	पखांजूर	जिरामतराई	बड़े झाड़ का जंगल	415	0.005
14	पखांजूर	जिरामतराई	बड़े झाड़ का जंगल	313	0.011
15	पखांजूर	मासूर	बड़े झाड़ का जंगल	7	0.028
16	पखांजूर	मासूर	बड़े झाड़ का जंगल	25	0.005
17	पखांजूर	पिपली	बड़े झाड़ का जंगल	89	0.001

21/10

18	पखांजूर	पिपली	बड़े झाड़ का जंगल	88	0.004
19	पखांजूर	पिपली	बड़े झाड़ का जंगल	2	0.014
20	पखांजूर	पिपली	बड़े झाड़ का जंगल	10	0.004
21	पखांजूर	मंडागाँव	बड़े झाड़ का जंगल	54	0.001
22	पखांजूर	बुधनदंड	बड़े झाड़ का जंगल	168	0.017
23	पखांजूर	बुधनदंड	बड़े झाड़ का जंगल	42	0.004
24	पखांजूर	बुधनदंड	बड़े झाड़ का जंगल	43	0.009
25	पखांजूर	बुधनदंड	बड़े झाड़ का जंगल	87	0.002
26	पखांजूर	बुधनदंड	बड़े झाड़ का जंगल	89	0.003
27	पखांजूर	बुधनदंड	बड़े झाड़ का जंगल	99	0.007
28	पखांजूर	बुधनदंड	बड़े झाड़ का जंगल	100	0.003
29	पखांजूर	छोटे झाड़कट्टा	बड़े झाड़ का जंगल	67	0.003
30	पखांजूर	परतापुर	बड़े झाड़ का जंगल	57	0.013
31	पखांजूर	परतापुर	बड़े झाड़ का जंगल	122	0.015
32	पखांजूर	भिगीडार	बड़े झाड़ का जंगल	338	0.011
33	पखांजूर	भिगीडार	बड़े झाड़ का जंगल	81	0.016
34	पखांजूर	भिगीडार	बड़े झाड़ का जंगल	253	0.005
35	पखांजूर	भिगीडार	बड़े झाड़ का जंगल	564	0.048
36	पखांजूर	इन्दपूरी	बड़े झाड़ का जंगल	356	0.015
37	पखांजूर	विकासपल्ली	छोटे झाड़ का जंगल	541	0.022
38	पखांजूर	कन्हारगांव	बड़े झाड़ का जंगल	27	0.002
39	पखांजूर	कुरेनार	बड़े झाड़ का जंगल	173/1	0.017
40	पखांजूर	पालनदी	बड़े झाड़ का जंगल	63	0.003
41	पखांजूर	पालनदी	बड़े झाड़ का जंगल	64	0.012
42	पखांजूर	अनुपपुर	बड़े झाड़ का जंगल	15	0.002
43	पखांजूर	अनुपपुर	बड़े झाड़ का जंगल	77	0.005
44	पखांजूर	हांकेर	बड़े झाड़ का जंगल	154	0.011
45	पखांजूर	हांकेर	बड़े झाड़ का जंगल	162	0.011
46	पखांजूर	हांकेर	बड़े झाड़ का जंगल	139	0.001
योग					0.429

चूंकि प्रस्तावित भूमि राजस्व अभिलेख में छोटे/बड़े झाड़ के जंगल मद में दर्ज है, जो राजस्व वन भूमि श्रेणी में है। जिस पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 प्रभवशील है। अतएव उक्त भूमि का गैर वानिकी प्रयोजन हेतु उपयोग किये जाने के संबंध में विधिवत वनविभाग से भूमि प्रत्यावर्तन की कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। यदि वन विभाग द्वारा उक्त भूमि के संबंध में नियमानुसार भू-प्रत्यावर्तन की कार्यवाही की जाती है तो इस कार्यालय को कोई आपत्ति नहीं है।

कलेक्टर
जिला उत्तर बस्तर कांकेर